भा0कृ0अनु0परि0- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी(उ0प्र0)

एच.ए.ओ./51वीं/आई.एम.सी./2025-26 दिनांकः 03.09.2025

परिपत्र

इस संस्थान में कार्यरत् समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्यवक(चारा फसलों इकाई)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/इकाईयों में कार्यरत् समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनर्श आदि को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में संस्थान प्रबंध समिति की 51वीं बैठक दिनांक 25.07.2025 को रखे गये ऐजेण्डा आइटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए एवं तद्नुसार इस संबंध में परिषद को DR JIALAL MEMORIAL HOSPITAL PVT LTD, Opp. MLB Medical College Gate No. 2 Jhansi (U.P.) द्वारा संस्थान के के स्टॉफ, पेंशनर्श एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग की सुविधाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पत्र संख्या FS/16/5/2024-FFC(e.no. 335477) दिनांकः 27.08.2025 के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरांकित चिकित्सालयों से दिनांक 02.09.2025 को इस संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. किया जा चुका है।

अतः संस्थान के सभी पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को इन चिकित्सालयों से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ निम्नलिख्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।

1. DR JIALAL MEMORIAL HOSPITAL PVT LTD, Opp. MLB Medical College Gate No. 2 Jhansi (U.P.) से स्वयं की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक पेंशनर्श द्वारा अपने स्वयं के परिचय-पत्र एवं संस्थान द्वारा नामित चिकित्साधिकारी/डॉक्टर के द्वारा परामर्श प्रपत्र अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
2. पेंशनर्श एव उनके पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाऐं प्राप्त करने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अलग से मेडिकल कार्ड वांछित दिशा-निर्देशों सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. संस्थान के प्रत्येक पेंशनर्श एव उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाऐं सी.जी.एच.एस की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पतालों को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस/सी.एस(एम.ए) की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
4. यदि किसी भी पेंशनर्श एव उनके पारिवारिक आश्रितों को इन अस्पतालों में भर्ती(IPD मरीज हेतु) करना पडता है तो इसकी सूचना संस्थान प्रशासन को देना आवश्यक होगा एवं संस्थान से प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अस्पताल से उपचार प्राप्त कर सकेगें।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

3.9.2025

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष

वितरणः

1. सभी विभागाध्याक्षों/परियोजना समन्यवयक(चारा फसलें)/वरि.वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा0 प्रशा0 अधिकारीगण/सभी इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत् सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, DR JIALAL MEMORIAL HOSPITAL PVT LTD , झाँसी
3. संस्थान बेवसाइट एवं ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।
4. सूचनार्थ, निदेशक, भा0क0अनु0परि0- भा0च0 एवं चा0अनु0 संस्थान, झाँसी(उ0प्र0)।